

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 जून 2021 — ज्येष्ठ 12, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (35).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-23/2019/वाक/पांच(59), दिनांक 29-06-2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक, शब्द एवं चिन्ह “30 जून, 2021” के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह “30 सितंबर, 2021” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2021

क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (35).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2021/ वाक/पांच (35), दिनांक 24-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 24th May 2021

NOTIFICATION

No. F 10-34/2021/CT/V (35).— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-23/2019/CT/V(59), dated 29-06-2019, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures, words and punctuation "30th June, 2020", the figures, words and punctuation "30th September, 2021" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (36).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-88/2020/वाक/पांच(139), दिनांक 29-12-2020, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 जून, 2021" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह "31 दिसंबर, 2021" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2021

क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (36).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2021/ वाक/पांच (36), दिनांक 24-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 24th May 2021

NOTIFICATION

No. F 10-34/2021/CT/V (36).— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-88/2020/CT/V(139), dated 29-12-2020, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures, words and punctuation "30th June, 2021", the figures, words and punctuation "31st December, 2021" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.